


(R)
2



नवल कोटेश्वरिकांक 30/11/09 अक्ष पादि गजाला उप जिलाधिकारी कार
 कार्यालय कार्यालय कार्यालय 74/108-09 अक्ष 1113 2012-13, भारतमा
 बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग तर्फा सञ्चालित 2009
 लिसेन्सोर् तह. व जिला कार्यालय ————— x ————— x

1) कार्यालय कार्यालय कार्यालय प्रयोगेपछि जिल्ला कार्यालय —



(Signature)
 President
 Mahatma Gadhya L. K. Kalyan
 Avam Gramy Vikas Samithi

847-
20/1/19

न्यायपालय धम विद्यापिकाणी / महाबुद्धलोकसंस्थान श्रीणी, सदर, लखनऊ।

बाद सं० - 74/08-09
महाबुद्ध लोक संस्थान एवं धम्म
विकास संस्थान बनाम उ०२०आर०एक्ट
धारा - 143 जेड०ए०एल०आर०एक्ट।
ग्राम - बिजनौर, परगना-बिजनौर,
तहसील न जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत बाद कार्यवाही श्रीमती सीमा प्रमथ सचिव महाबुद्ध लोक संस्थान एवं धम्म विकास संस्थान रजिस्टर्ड नं० 1223 स्थित कार्यालय ई- 2038 राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जेड०ए०एल०आर०एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में यह अनिच्छित है कि प्रार्थी गाटा संख्या 877 रकबा 0.051हे०, 878 रकबा 0.240हे०, 875 रकबा 0.200हे०, 898 रकबा 0.253हे०, 899 रकबा 0.190हे० कुल 5 किता कुल रकबा 0.934हे० तथा गाटा संख्या 872 रकबा 0.083हे०, 873 रकबा 0.063हे०, 874 रकबा 0.153हे०, 877 रकबा 0.100हे०, 878 रकबा 0.058हे०, 880 रकबा 0.098हे०, 881 रकबा 0.010हे०, 882 रकबा 0.101हे०, 883 रकबा 0.049हे०, 884 रकबा 0.005हे० कुल 10 किता कुल रकबा 0.700हे० स्थित ग्राम बिजनौर की गलिक कर्मिल न कर्मिल है एवं संकमनीय भूमिपर है। उक्त भूमि के चारो तरफ आवसीय है तथा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य हो चुका है तथा भूमि का अधिकांश हिस्सा आवसीय उपयोग में है, जिसके कारण उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है, अपितु आवसीय उपयोग में प्रयोग की जा रही है। अतः मैं प्रार्थी द्वारा ग्राम बिजनौर की उपरोक्त गाटा संख्याओं को अकृषिक घोषित करने की मांगना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसील, सदर, लखनऊ से आज्ञा प्राप्त की गयी। राजस्व निरीक्षक, बिजनौर ने अपनी आज्ञा दिनांक 30.01.09 में यह कता है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित खसरा संख्याओं पर प्रार्थी का नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरा संख्याओं में से खसरा संख्या 877 रकबा 0.051हे०, 878 रकबा 0.040हे०, 898 रकबा 0.253हे० तथा 899 रकबा 0.090हे० में कृषि कार्य नहीं होता है। प्रार्थी के शेज नम्बरों में कृषि कार्य होता है, खेत पर फसल खड़ी है। प्रार्थी की जिन खसरा संख्याओं पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि को धारा- 143 जेड०ए०एल० आर०एक्ट के अन्तर्गत आवसीय/अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आज्ञा संस्तुति सहित प्रेषित है।

बाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/संख्याओं एवं तहसील, सदर, लखनऊ से प्राप्त सख्त निरीक्षण, बिजनौर की आज्ञा का विविध अवलोकन व परीक्षण किया गया। प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रस्तुत भूमि का उपयोग आवसीय/अकृषिक में किया जा रहा है। ऐसी


President
Mahabodhi Buddha Lok Sansthan
Jagan Ganga Vikas Sansthan

812
30/11/19

जमीन में बीके पर भूमि का उपयोग वैरक्षित होने के कारण उक्त भूमि का अक्षयिक
वर्धन होने जाने में कोई विकल्प सात नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम बिजनौर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा
संख्या 977 रकबा 0.051हे०, 978 रकबा 0.040हे०, 898 रकबा 0.253हे० तथा 899
रकबा 0.090हे०, कुल 4 किताब कुल रकबा 0.434हे०, जोकि महात्मा बुद्ध लोक कल्याण
एवं ग्राम्य विकास संस्थान रजिस्टर्ड नं० 1223 स्थित कार्यालय ई-2038 राजाजीपुरम्,
लखनऊ द्वारा प्रबन्ध सचिव, श्रीमती बीना के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं, परे भूमि
प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अक्षयिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में
अमल-दशमद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की
एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली
वाचित वफतूर हो।

(महेन्द्र सिंह)

उप जिलाधिकारी /
सहायकलेक्टर(प्रथम भेरी), सदर,
लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 30-11-19 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, विनाफिट
एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

जब सापना-यह दस को दिनांक: 30/11/19
रकबा संख्या-यह दिनांक: 30/11/19
रकबा संख्या-यह दिनांक: 30/11/19
संक्रमांक कुल: 13-2038
किसी की संख्या: 152 हाथवा (चक्राफत)

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी /
सहायकलेक्टर(प्रथम भेरी), सदर,
लखनऊ।



तल्लिफि कर्ता: _____
दुआकारता: _____
दिनांक: 30/11/19

प्रमाणित पत्रिका
(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सचिव
(सदर) लखनऊ

(Handwritten marks)



आदेश पत्रिका

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
अपहरण : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
वाइ संख्या :- 25301/2018
कम्प्यूटरीकृत वाइ संख्या :- T201810450525301
महात्मा बुद्ध लोक कल्याण संस्थान उद्योगकारदार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय ऑफिस कलेक्टर / उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ

वाइ संख्या- 120/18-19
धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
ग्राम-बिजनौर
परगना-बिजनौर
महात्मा बुद्ध लोक आदि बंगला उद्योगकारदार

निर्णय

प्रस्तुत वाइ की कार्यवाही महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं विकास संस्थान स्थित ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ द्वारा प्रबन्धक सचिव सुरील कुमार सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की छाता संख्या 00177 पर अंकित गाटा संख्या 872 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 873 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 874 रकबा 0.153800 व गाटा संख्या 877 रकबा 0.100800 व गाटा संख्या 878 रकबा 0.058800 व गाटा संख्या 880 रकबा 0.098800 व गाटा संख्या 881 रकबा 0.010800 व गाटा संख्या 882 रकबा 0.101800 व गाटा संख्या 883 रकबा 0.048800 व गाटा संख्या 884 रकबा 0.005800 कुल दस कितल कुल रकबा 0.700800 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर भूमि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन की नहीं है। कृषि या पशुपालन गलतपालन कुत्तुटपालन बगवानी नहीं हो रही है। गैर कृषिक प्रयोजन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी। तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या माघालय को प्राप्त हुई कि बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की छाता संख्या 00177 पर अंकित गाटा संख्या 872 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 873 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 874 रकबा 0.153800 व गाटा संख्या 877 रकबा 0.100800 व गाटा संख्या 878 रकबा 0.058800 व गाटा संख्या 880 रकबा 0.098800 व गाटा संख्या 881 रकबा 0.010800 व गाटा संख्या 882 रकबा 0.101800 व गाटा संख्या 883 रकबा 0.048800 व गाटा संख्या 884 रकबा 0.005800 कुल दस कितल कुल रकबा 0.700800 पर महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं विकास संस्थान स्थित ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ द्वारा प्रबन्धक सचिव सुरील कुमार सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर छातीनी में अंकित है। उक्त भूमि पर कोई कार्य न कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर कृषि कार्य, गलत पालन, कुत्तुट पालन, बगवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक प्रयोजन किये जाने की संस्तुति की गयी है। अंकित बगवानी 84000/- बगवानी संख्या एल0आई0 88182 दिनांक 18.12.12.2018 द्वारा जमा की गई जो पत्रावली के साथ संलग्न है। वाइ वर्ज किया गया था। इसे नोटिस जारी की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। ग्राम बिजनौर की छातीनी वर्ष 1422-1427 फसली तक के छाता संख्या 00177 पर अंकित गाटा संख्या 872 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 873 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 874 रकबा 0.153800 व गाटा संख्या 877 रकबा 0.100800 व गाटा संख्या 878 रकबा 0.058800 व गाटा संख्या 880 रकबा 0.098800 व गाटा संख्या 881 रकबा 0.010800 व गाटा संख्या 882 रकबा 0.101800 व गाटा संख्या 883 रकबा 0.048800 व गाटा संख्या 884 रकबा 0.005800 कुल दस कितल कुल रकबा 0.700800



(Signature)
President
Mahatma Buddha Lok Kalyan
Ayuda Granthi Vikas Sansthan



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
बाद संख्या :- 25301/2018
कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या :- T201810460525301
महत्त्वपूर्ण बिंदु लोक कल्याण कोड 3040 नगर नगर
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

पदावली मुद्रा लोक-कल्याण एवं विकास संस्थान लिमिटेड ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष सुशील कुमार सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ नाम संव्यवसीय भूमिपर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुककुट पालन, बागवानी कार्य दिगत कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संतुष्टि तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर ग्राम विजनीर परगना विजनीर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतीनी वर्ष 1422 से 1427 फसली तक की खाता संख्या 00177 पर अंकित गाटा संख्या 872 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 873 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 874 रकबा 0.153800 व गाटा संख्या 877 रकबा 0.100800 व गाटा संख्या 878 रकबा 0.058800 व गाटा संख्या 880 रकबा 0.098800 व गाटा संख्या 881 रकबा 0.010800 व गाटा संख्या 882 रकबा 0.101800 व गाटा संख्या 883 रकबा 0.049800 व गाटा संख्या 884 रकबा 0.005800 कुल दल बिना कुल रकबा 0.700800 मालगुजारी 80ख को अक्षुण्ण घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

आत तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या के आधार पर ग्राम-विजनीर परगना विजनीर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतीनी वर्ष 1422 फसली से 1427 फसली तक की खाता संख्या 00177 पर अंकित गाटा संख्या 872 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 873 रकबा 0.063800 व गाटा संख्या 874 रकबा 0.153800 व गाटा संख्या 877 रकबा 0.100800 व गाटा संख्या 878 रकबा 0.058800 व गाटा संख्या 880 रकबा 0.098800 व गाटा संख्या 881 रकबा 0.010800 व गाटा संख्या 882 रकबा 0.101800 व गाटा संख्या 883 रकबा 0.049800 व गाटा संख्या 884 रकबा 0.005800 कुल दल बिना कुल रकबा 0.700800 पर महत्त्वपूर्ण मुद्रा लोक कल्याण एवं विकास संस्थान लिमिटेड ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष सुशील कुमार सिंह पुत्र हरिप्रसाद सिंह निवासी ई0-2938 राजाजीपुरम् लखनऊ मालगुजारी 80ख को अक्षुण्ण घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों एवं भारत पालन पर इसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महत्त्वपूर्ण 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुककुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य उक्त उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत सबब एवं तथ्य कमी भी अतिरिक्त एवं फर्जी बावे प्रामे पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की प्रति अभिलेखों में अनल रचनाद हेतु तहसीलदार सरोजनीनगर को भेजी जावे तथा आदेश की एक प्रति उपनिवेशक लखनऊ को भेजी जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही तत्काल अभिलेखानगर हो।


दिनांक 26/12/18

प्रमाणित / सिलिचि
अधिकारी / उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर लखनऊ।

Qano. 9696
9690
Pac-24-1-19



موضع منکر بنائت پور



President
Mahatma Buddha L. K. Kalyan
Aram Gramy Vikas Sansthan